

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/अनु0 - 127/2017

148 /कृ0 पटना दिनांक 10-1-2018

प्रति,

हिमांशु कुमार राय मा.प्र.से.

कृषि निदेशक,

बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 सन क्रॉप साइन्सेज प्रा0 लि0 (हैदराबाद)

C/o- सुमित्रा एजेन्सी,

जे0- 157, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग,

नियर इभरेस्ट मसाला, पटना

विषय :-

बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र- 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....01/2018.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशासित/अधिरूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....09/01/2021.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक- 2408 दिनांक- 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0- बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक- 10-1-18

संभांक :

148

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-भेल करने हेतु प्रेषित।

  

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

श्रेष्ठ सन ग्रुप साइन्स प्रा० लि० द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।

पत्रांक— 148

दिनांक— 10-1-18

LIST OF SEEDS

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	MAIZE	SUN CHALLENGE (3322), SUN CHAMPION, SUN KRANTHI (9122), SUN 234, SUN VAAMAN, SUN LEADER, SUN 405, SUN 126
2	PADDY	SUN AAMANI, SUN MADHU, SUN MOTHI, SUN KAKET, SUN SRIRAM (4044)
3	BHINDI	SUN KOMAL, SUN KANCHAN
4	CHILLI	HOT SUN, HOT GREEN
5	TOMATO	SUN ROHINI, SUN KIRAN
6	BOTTLE GOURD	SUN APSARA
7	SPONGE GOURD	SUN KAMINI, SUN MULAYAM

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Vishu
9.1.18
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 01/2018 Date 10/01/2018



Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license मे० सन क्रॉप साइन्सेज प्रा० लि० (हैदराबाद) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business प्लॉट जे०- 157, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, नियर इभरेस्ट मसाला, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
C/o- सुमित्रा एजेन्सी, जे०- 157, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, नियर इभरेस्ट मसाला, पटना	H/o- रामसखी देवी एवं श्री संजय कुमार, मौजा रानीपुर, महल्ला- मुर्तीजीगंज, थाना- मेहदीगंज, जिला- पटना तौजी नं०- 15/3, खाता नं०- 158, खेसरा नं०- 2387
उत्तर - खाली प्लॉट	उत्तर - खाली जमीन
दक्षिण - रोड	दक्षिण - संजय गिरी की दुकान
पुर्व - जे०-158	पुर्व - खेती
पश्चिम - जे०- 156	पश्चिम - पक्की सड़क

Date : 10/01/2018

Seal : 09/01/2018 12/01/2018 - 148

Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna
7.1.18

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid upto... 09/01/2021...
(09th January 2021)
Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).